Title: Consideration and passing of the Hyderabad Export Duties (Validation) Repeal Bill, 2001.

MR. SPEAKER: Item No.10. Shri Balasaheb Vikhe Patil.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL): Sir, I beg to move:

"That the Bill to repeal the Hyderabad Export Duties (Validation) Act, 1955, be taken into consideration."

Mr. Speaker, Sir, The Hyderabad Export Duties (Validation) Act, 1955 was enacted to validate the levy and collection of certain duties on export of goods from the erstwhile State of Hyderabad to other States during the period from February, 1945 to September, 1954.

The Act has become obsolete and the Government of Andhra Pradesh also has no objection to its being repealed. The Commission on Review of Administrative Laws has also recommended for repealing the same as the Act has outlived its utility.

Since the objective of the Act to validate certain actions taken during specific period has already been achieved, the Act is no longer relevant and is proposed to be repealed through The Hyderabad Export Duties (Validation) Bill, 2001.

Sir, I request this august House to consider and pass the Bill.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to repeal the Hyderabad Export duties (Validation) Act, 1955, be taken into consideration."

This is a small Bill. Thirty minutes have been allotted. If there is no objection, we can pass it without discussion also.

अध्यक्ष महोदयः रघुवंश जी, क्या आप हैदराबाद के बारे में बात करेंगे? बिहार से हैदराबाद जा रहे हैं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) निरसन विधेयक यहां लाया गया है। 1945 से 1954 तक हैदराबाद निजाम के अधीन था। वहां से जो सामान दूसरे देशों में जाता था उस पर निर्यात शुल्क लगता था। इन्होंने दावा किया है कि सन् 1998 में एक जैन आयोग बैठा था, उसे इस बात की जांच करनी थी कि जितने रद्दी और बेकार कानून हैं, उन सब को कैसे खत्म किया जाए? देश में अभी सैंट्रल कानून कुल 2500 हैं, जिनमें से 1324 कानूनों के बारे में जैन आयोग ने कहा है कि उन्हें एक कलम से खत्म किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय बताएं कि जब आयोग ने यह कहा है कि एक कलम से इन कानूनों को खत्म किया जाए और पुराने कानून खारिज भी हो चुके हैं तो उन्हें अलग-अलग लाकर सदन का समय क्यों खराब किया जा रहा है? 1324 कानूनों में से कितने कानून अभी वित्त विभाग के पास पड़े हैं और कितनों को समाप्त किया, निरसन किया?

जब निजाम का राज था, उस समय यह शुल्क लगाने का कानून था जो 1955 में खत्म हो गया। उसके पहले 1948 से 1954 तक जितने शुल्क लगाने के कानून थे, वे भी खत्म हो गये। जब आयोग ने कह दिया कि जितने पुराने और बेकार कानून हैं, उनको खत्म किया जाये, उसके बावजूद सरकार द्वारा इसे खत्म न करना इसकी विफलता कहा जायेगा। आयोग ने 1998 में अनुशंसा की लेकिन तीन साल तक इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। न मालूम इस तरह के कितने पुराने कानून सरकार रखे हुये हैं, उनको क्यों नहीं जल्दी खत्म कर रही है? केन्द्र सरकार के पास ऐसे कानून 2500 की संख्या में होगें और हर राज्य में 7-8 सौ कानून होंगे। सरकार जनता के साथ धोखा-धड़ी कर रही है क्योंकि मैं जानता हूं कि कई कानूनविद तो कानून का नाम तक नहीं जानते होंगे। इसलिये यह सरकार अपनी शिथिलता को छोड़े क्योंकि इसमें सरकार का कोई दाम नहीं लग रहा है। वित्त विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी कई पुराने और बेकार बिल होंगे। सरकार उनको भी क्यो नहीं खत्म करती? उसमें भी हर विभाग की शिथिलता है। वित्त विभाग में कई गड़बड़ियां हो रही हैं। घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। इसलिये यह जांच का विाय है।

अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को देखते हुये हैदराबाद निर्यात शुल्क (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955 का निरसन किया जाये। इसलिये ऐफिशिएंसी लाकर, संवेदनशीलता लाकर, ऐसे कानूनों को जिसके लिये आयोग ने 1998 में समाप्त किये जाने की अनुशंसा की थी, शीघ्र समाप्त किया जाये। जब सरकार आयोग की अनुशंसाओं को नहीं मान रही है तो यह देश किस दिशा में ले जायेगी, समझ में नहीं आता है।â€¦(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है । श्री राजीव प्रताप रूडी अपनी सीट पर खड़े होकर नहीं बोलते हैं। वे जानबूझकर महिलाओं के बीच में बैठते हैं। यह जांच का विाय है क्योंकि लोकसभा के नियमों में लिखा हुआ है कि अगर कोई सदस्य बोलेगा तो अपनी सीट से बोलेगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि श्री जैन की अध्यक्षता में 1988 में एक कमेटी बनी थी जिसकी रिपोर्ट 1998 में आई। उस रिपोर्ट में 166 ऐसे कानून हैं जिनको रिपील करने की सिफारिश की गई थी। माननीय सदस्य का कहना सही है कि अन्य कई विभागों में ऐसे कानून पड़े हुये हैं जिनको रिपील करने की आवश्यकता है। इसलिये अन्य विभाग भी ऐसे कानूनों को रिपील करने की प्रोपोज़ल बना रहे हैं।

मेरा सदन से आग्रह है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to repeal the Hyderabad Export Duties (Validation) Act, 1955, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

———